महोदय,

सविनय, निवेदन है कि प्रार्थिनी जनपद कासगंज में सिविल जज (सी0डि0), के पद पर कार्यरत् है। प्रार्थिनी का इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में जनपद उन्नाव से जनपद कासगंज के लिए हुआ था। प्रार्थिनी की सात वर्ष की पुत्री है। प्रार्थिनी के पति श्री सुशील कुमार सोनकर, जो जनपद फैजाबाद में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर कार्यरत् थे, की हत्या विभागीय व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2016 में करा दी गयी थी। प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थिनी के पति की हत्या का मुकदमा अन्तर्गत धारा 302 एवं 120बी भा0दं0सं0 जनपद फैजाबाद में दर्ज कराया गया था, जो मु0अ0सं0–615/2016 है। प्रकरण जनपद न्यायालय फैजाबाद में लम्बित है। प्रार्थिनी को मुकदमें की पैरवी हेतु जनपद फैजाबाद आना–जाना पडता है तथा प्रार्थिनी उपरोक्त मुकदमें में साक्षी भी है। वार्षिक स्थानान्तरण में प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद कासगंज हुआ है। जनपद कासगंज व जनपद फैजाबाद के मध्य की दूरी लगभग 500 किमी0 है, जो अत्यधिक दूर है। प्रार्थिनी के साथ परिवार का अन्य कोई सदस्य नहीं रहता है। प्रार्थिनी अपनी पुत्री का पालन–पोषण अकेले ही कर रही है। जनपद फैजाबाद से जनपद कासगंज की दूरी अधिक होने के कारण प्रार्थिनी अपनी मुकदमें की पैरवी प्रभावी रूप से नहीं कर पा रही है। प्रार्थिनी को मुकदमें में पैरवी करने हेतु अकेले होने के कारण अपनी पुत्री को भी साथ ले जाना पडता है, जिससे आने–जाने में अत्यधिक कठिनाई व असुविधा होती है तथा उसकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिनी के बुजुर्ग माता–पिता जनपद कानपुर नगर में निवास करते है। प्रार्थिनी का भाई नहीं है, इसलिए माता–पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी प्रार्थिनी की है, परन्तु जनपद कानपुर भी जनपद कासगंज से 300 किमी0 दूर होने के कारण प्रार्थिनी अपने माता–पिता की भी सही देखभाल नहीं कर पा रही है।

अतः माननीय महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि प्रार्थिनी की उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद कासगंज से जनपद लखनऊ या जनपद बाराबंकी, जो कि जनपद फैजाबाद के निकट है, में करने हेतु प्रार्थिनी के स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नक– छायाप्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट।

प्रेषिका,

मीनाक्षी सोनकर,
सिविल जज (सी0डि0),
जनपद कासगंज।

सेवा में,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद उन्नाव।

द्वारा, श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद कासगंज।

विषय— **सम्बन्धित प्रमाण—पत्र मंगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सविनय, निवेदन है कि प्रार्थिनी का वार्षिक स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं०—1246/Admin(Services)/2021 दिनांकित 09—04—2021 के अनुपालन में जनपद कासगंज में हुआ था। स्थानान्तरण उपरांत प्रार्थिनी को प्रमाण पत्र एवं नो—ड्यूज की आवश्यकता है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिये गये थे, परन्तु अभी तक प्रार्थिनी को सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं नो—ड्यूज जनपद उन्नाव से 03 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्राप्त नहीं हुए है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थिनी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं नो–ड्यूज प्रदान किये जाने की कृपा करें –

1. एन0पी0एस0 पास बुक।
2. फॉर्म–16
3. सी0एल0 व लोक अदालत प्रतिकर अवकाश सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
4. पेट्रोल के भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
5. ए0सी0पी0 का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।
6. पोशाक भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।
7. बिजली बिल के भुगतान से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति दिलाये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
8. समाचार पत्र बिल के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।
9. अदेयता प्रमाण पत्र।

सादर।

भवदीया,

दिनांक–17.08.2021

(मीनाक्षी सोनकर),
सिविल जज (सी0डि0),
जनपद कासगंज।
(J.O. Code No. U.P. 1848)

प्रेषिका,

मीनाक्षी सोनकर,
सिविल जज (सी0डि0),
जनपद कासगंज।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद कासगंज।

विषय– **आकस्मिक अवकाश प्रमाण–पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सविनय, निवेदन है कि प्रार्थिनी का वार्षिक स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं०–1246/Admin(Services)/2021 दिनांकित 09–04–2021 के अनुपालन में जनपद कासगंज में हुआ था। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय उन्नाव द्वारा जारी आकस्मिक अवकाश प्रमाण पत्र जनपद न्यायालय कासगंज की अधिकृत वेबसाईट के ई–मेल सं0–1400, दिनांकित 18.08.2021 से प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त आकस्मिक अवकाश प्रमाण पत्र माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

ससम्मान्।

भवदीया,

दिनांक–18.08.2021

(मीनाक्षी सोनकर),
सिविल जज (सी0डि0),
जनपद कासगंज।
(J.O. Code No. U.P. 1848)

प्रेषिका,

नाहिद सुल्ताना,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जनपद न्यायालय कासगंज।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद न्यायालय कासगंज।

विषय <u>आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में आहूत स्पष्टीकरण।</u>

महोदय,

माननीय महोदय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के सम्बन्ध में प्राथिनी से आहूत स्पष्टीकरण हेतु सादर निवेदन है कि दिनांक 24.11.2021 को भोजनावकाश के दौरान प्रार्थिनी स्टेनों रूम में अर्जेन्ट आदेश लिखवा रही थी, जिससे प्रार्थिनी को आभास नहीं हो सका कि समय 02:00 बजे से ऊपर हो रहा है। जैसे ही आदेश पूरा हुआ, प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ कि न्यायालय का समय शुरू हुए कुछ समय बीत गया है, तब प्रार्थिनी तुरन्त न्यायालय में गयी और पूर्व से 2:00 बजे के लिए नियत बहस करीब 02 बजकर 6–7 मिनट पर न्यायालय द्वारा सुना गया।

इस प्रकार न्यायालय में उपस्थित आने में प्रार्थिनी को थोडा–सा अनैच्छिक व आशय–रहित विलम्ब कारित हो गया, जिस कारण प्रार्थिनी क्षमायाची है। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी की यह प्रथम भूल क्षमा करने की कृपा करें। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति प्रार्थिनी नहीं करेंगी।

उक्त स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीया,

दिनांक– 26.11.2021

(नाहिद सुल्ताना),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।